

# मध्यप्रदेश विधान सभा

चुलाई-अगरतला, 1997 सत्र

विधान सभा कार्यसंग्रह में लिखा गया (८)

गुरुवार, दिनांक 17 चुलाई, 1997 (आषाढ़ 26, 1919)

विधान सभा कार्यसंग्रह में लिखा गया (९)

**पृथकता:** वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

## 2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. रमन सिंह, सर्वीश्री रजिन्द्रपाल सिंह भाटिया, बनवारीलाल अग्रवाल,

सदस्य, प्रदेश के शासकीय स्कूलों में वर्दी की अनिवार्यता से छात्रों एवं पालकों को हो रही परेशानी की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मन्दसीर जिले के वन परिषेन्द्र जावद अंतर्गत भेड़ों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाई जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के अमरकंटक धर्मल पावर संयंत्र में प्रदूषण मापक यंत्र न होने से फैल रहे प्रदूषण की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री रामविचार नेताम, सदस्य, सरगुजा जिले के बिहार प्रदेश के सीमावर्ती शेत्र अंतर्गत नक्सली गतिविधियां तेज होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

## 3. धारिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम सेयरी के मजरा धन्न का पुरा को ग्राम घोषित किये जाने,

(ख) ग्राम सेयरी के मजरा कटेलापुरा को ग्राम घोषित किये जाने,

(ग) ग्राम लालबांस के मजरा सुकलू का पुरा को ग्राम घोषित किये जाने,

(घ) ग्राम हडबांसी के मजरा दलगंजन का पुरा को ग्राम घोषित किये जाने, तथा

(ड.) ग्राम टिकटोली गुर्जर के मजरा बगिया का पुरा को ग्राम घोषित किये जाने,

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) कटनी नगर स्थित शासकीय औषधालय भवन में बिजली, पानी एवं शौचालय आदि की व्यवस्था किये जाने,

(ख) कटनी नगर स्थित सिविल अस्पताल में आउटडोर कॉम्प्लैक्स बनाये जाने,

(ग) ग्राम सलैया के बरहाटोला एवं मझौली टोला में विद्युतीकरण कराये जाने, ताकि

(घ) कटनी नगर स्थित सिविल अस्पताल में टी.बी. क्लीनिक भवन की मरम्मत कराये जाने,

(३) श्री सुकीर्ति चैन, सदस्य, जबलपुर जिले के-

(क) ग्राम बिरुहली (निटर्स) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम कैलवारा खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(४) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर स्थित डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दिलाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

#### 4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(१) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 22 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

**निर्धारित समय 15 मि.** (२) श्री बी. आर. यादव, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 20 सन् 1997) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर सुण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

प्रसार तांत्रिक कानूनपाठ के लिए लाइडार्ड द्वारा दिया गया गोपनीय नोट

5. प्रतिवेदनों पर चर्चा

१. घटा (१) राजगढ़ जिले के सुआइल्या में दिनांक ९ जून, 1994 को घटित घटना तथा पुलिस कर्तव्यवाही प्रतिवेदन पर चर्चा।

२. घट्टे (२) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक्त आयुक्त का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 तथा लोक आयुक्त संगठन का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 व्याख्यातक जापन पर चर्चा।

के.पी.लिवारी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा

निम्न उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान के लिए नोट (१)

भोपाल :

दिनांक : 16 जुलाई, 1997

निम्न उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान के लिए नोट (२)

निम्न उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान के लिए नोट (३)

निम्न उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान के लिए नोट (४)

- के लिए उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान नोट (५)

निम्न उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान नोट (६)

निम्न उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान नोट (७)

निम्न उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान नोट (८)

निम्न उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान नोट (९)

निम्न उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान नोट (१०)

निम्न उल्लिखित माम कि छपू रक्षण विधान नोट (११)